रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 1994/श्रावण 18, 1916
No. 332] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 1994/SRAVANA 18, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1994

सा. का. नि. 617(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, बम्बई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनायी गई बम्बई पत्तन न्यास (स्वरूप और विधि जिसमें कारबार किया जाएगा) नियमावली, 1994 महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में क्रमशः दिनांक 9-6-94 और 16-6-94 को विधिवत् प्रकाशित हुई थी, अनुमोदित करती है, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है ।

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

क्र. सचिव/पी/जी ई ई-जी/1955

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124(2) के अनुसरण में महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 4-3-1993 और 11-3-1993 (भाग II) के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15-02-1993 की अधिसूचना क्र. सचिव/पी/जी ई ई-जी/1955 के साथ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (ठेके का प्रारूप एवं पद्धति) विनियम, 1992 के उसी अधिनियम की धारा 123(वी) के अंतर्गत मुंबई पत्तन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रारूप विनियम जानकारी के लिए प्रकाशित किए गए थे उन विनियमों को 14 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद उसी अधिनियम की धारा 124(वी) के अंतर्गत सरकारी अनुमोदन के लिए दिनांक 17-4-1993 के पत्र द्वारा आवेदन किया गया था, केन्द्र सरकार ने प्रारूप विनियमों में कुछ परिवर्तन सुझाए थे, तदनुसार परिवर्तन किए गए हैं और इस सुधारित प्रारूप विनियम के कारण जो लोग प्रभावित होने की संभावना है, उनकी जानकारी के लिए वे एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि यह अधिसूचना इस राजपत्र में प्रथमतः प्रकाशित होने की तिथि से 14 दिनों की अवधि समाप्त होने ही उन विनियमों को कथित अधिनियम की धारा 124(1) की आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया जाएगा ।

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

(ठेके का प्रारूप एवं पद्धति)

विनियम, 1994

1. विनियम का शीर्षक एवं व्याप्ति

(i) ये विनियम "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (ठेके का प्रारूप एवं पद्धति) विनियम, 1994" कहलाए जाएंगे ;

(ii) ये विनियम उनको केन्द्र सरकार की मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

(iii) ये विनियम मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट ठेकों पर विनिर्दिष्ट हद तक लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो :

(क) मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विभाग प्रमुख के अर्थ वही होंगे जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं ;

(ख) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है अध्यक्ष अथवा मंडल का ऐसा कोई अधिकारी जिसे इस काम के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिकार सौंपे गए हैं ;

(ग) 'निविदा' से तात्पर्य है आमंत्रण के जवाब में तथा निर्धारित पद्धति से एवं निर्धारित तिथि एवं समय में प्रस्तुत कोई आफर अथवा प्रस्ताव, इसमें दर, ठेका, प्रदीर्घ अवधि के ठेके अथवा एक समय ठेके के लिए दिए आफर अथवा प्रस्ताव शामिल होंगे ;

3. ठेके का प्रपत्र : प्रत्येक ठेका कानूनी विभाग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में लिखित रूप से दिया जाएगा और उसमें करार के स्वरूप एवं मूल्य के अनुसार समझौता अथवा स्वीकृति पत्र या क्रय आदेश शामिल हैं ।

4. (क) ठेका दिए जाने की पद्धति : (i) मंडल की तरफ से प्रत्येक ठेका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा और मंडल के सचिव द्वारा मंडल की सामान्य मुहर लगवाई जाएगी । बशर्ते कि स्वीकृति पत्र अथवा नए क्रय आदेश मुहरबंद होना अनिवार्य न हो ।

(ii) ठेका उपनियम (बी) में दर्शाए गए अथवा विश्वस्त मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए निविदा मंगवाने के उचित तरीके के अंतर्गत जारी निविदा सूचना के जवाब में प्राप्त निवेदित दर/बोलियों पर आधारित होगा और उसमें किया जाने वाला कार्य/दी जाने वाली सेवा/आपूर्ति किया जाने वाला भंडार आदि, कार्य अथवा कार्य का कोई विनिर्दिष्ट हिस्सा पूरा किए जाने की अवधि और ठेके से संबंधित अन्य शर्तें एवं निबंधन विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(बी) (i) निविदाएं निम्न प्रकार से मंगवाई जा सकती हैं —

(क) मर्यादित/बुलेटिन निविदा: (i) पंजीकरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करके, (ii) विशेष परिस्थितियों में—जो पार्टियों भंडार/सेवाओं की आपूर्ति/कार्य के विशिष्ट क्षेत्र अथवा प्रकार में विशेषज्ञ हो, या जो तकनीकी ज्ञान/जानकारी आदि की दृष्टि से कुशलता प्राप्त है, ऐसी सीमित पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित करके—चयन के कारण एवं निकष विभाग प्रमुख द्वारा लिखित रूप से रेकार्ड किये जाएंगे और जहां संबंधित कार्य के लिये लागत मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित आर्थिक सीमाओं के ऊपर हो, वहां अध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाएगा ।

(ख) विज्ञापित निविदा : खंड वाक्य (क) में शामिल न की गयी सारी निविदाएं स्थानीय अथवा अखिल भारतीय स्तर पर मंडल की नीति के अनुसार अथवा अध्यक्ष जी द्वारा अनुमोदित अखबारों में विज्ञापित की जाएंगी और वे आवश्यकतानुसार एकल कवर सिस्टम अथवा द्विकवर सिस्टम के अंतर्गत हो सकती है ।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियां :

(i) जिन मामलों में अध्यक्ष का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया है, उनमें अंतर्राष्ट्रीय आधार पर निविदा आमंत्रित करना ।

(ii) मांगकर्ता विभाग सामग्री का स्तर विनिर्दिष्ट करेगा; जो किसी भी स्थिति में मानकीकरण संस्थाओं द्वारा निर्धारित 'बेंच मार्क' से कम नहीं होगा ।

(iii) जो सामग्री मानकीकृत नहीं है, उसके संबंध में मांगकर्ता विभाग का प्रमुख सामग्री के विनिर्देशों का अनुमोदन करेगा मांगपत्र इस प्रकार बनाए जाएंगे जिससे कि फर्मों/ठेकेदारों के वांछित वर्ग में प्रतियोगिता सुनिश्चित हो ।

(iv) निर्विदा आमंत्रित करने वाले विज्ञापन/नोटिस में निम्न बातें शामिल होंगी—कार्य/भंडार/सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन तथा उसकी अनुमानित लागत, बयाना अमानत राशि, निविदा संच बिक्री के लिए उपलब्ध होने की तिथि, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, निविदाएं खोली जाने की तिथि और निविदा के मूल्य एवं स्वरूप के अनुसार अन्य आवश्यक जानकारी जैसे—पोस्ट क्वालिफिकेशन निकष आदि ।

(v) निविदा संच : निविदा सूचना, निविदाकारों को विनिर्देश, ठेके की सामान्य शर्तें, ठेके की विशेष शर्तें, सामान्य अनुदेश, ठेके की अनुसूची, रेखांकन, ठेके के स्वरूप के अनुसार ऐसे अन्य आवश्यक दस्तावेज आदि सम्मिलित करके बनेगा ।

(vi) परिष्कृत (sophisticated) उपकरण की प्राप्ति अथवा विशेषज्ञ तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होने वाले कार्य तथा जहां विश्वस्त मंडल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट राशि से अधिक लागत अपेक्षित है, ऐसे ठेकों के मामलों 'प्रि-क्वालिफिकेशन' पद्धति अपनायी जाएगी ।

(vii) जिन निविदाओं के साथ निर्धारित बयाना अमानत राशि नहीं है, ऐसी निविदाएं सिर्फ अध्यक्ष जी के सामान्य या विशिष्ट अनुमोदन से ही खोली जाएंगी ।

(viii) सारी निविदाएं लेखा विभाग के योग्य स्तर के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोली जाएंगी, निविदा खोलने के समय निविदाकार स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं, जो उपस्थित होंगे, वे इस उद्देश्य के लिए रखी गयी पंजी में उनकी मूल्य बोली (price bids) के सामने अपने नाम लिखेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे ।

(ix) भंडार विभाग में आपूर्ति निविदाओं के संबंध में जहां आफर्स के साथ नमूने प्रस्तुत किए जाते है, वहां जब भी नमूने प्राप्त होंगे, वे निविदा खोलने वाले अधिकारी के पास भेजे जाएंगे और संबंधित नमूनों को आफर का ही हिस्सा माना जाएगा ।

(x) ठेके के लिए निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग एक विस्तृत जांच-पड़ताल रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ (inter alia) निविदाकारों के आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता के तथा उनकी आफर्स के औचित्य/तर्कसंगती या उसके अभाव/कमी के बारे में निरीक्षण दर्शाए जाएंगे और जिन मामलों में सौंपे गए अधिकारों के अनुसार लेखा-परीक्षा निकासी की आवश्यकता नहीं है, ये मामले छोड़कर अन्य मामलों में लेखा विभाग के जरिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त की जाएगी ।

(xi) विश्वस्त मंडल की मंजूरी आवश्यक होने वाली सारी निविदाओं का एक त्रिसदस्यीय निविदा समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। ये तीन सदस्य होंगे—निविदा आमंत्रित करने वाले एवं उपभोक्ता विभाग के तथा लेखा विभाग के विभाग प्रमुख अतिरिक्त विभाग प्रमुख।

(xii) जिन ठेका निविदाओं के लिए विश्वस्त मंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उनका मूल्यांकन ऐसी त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसके सदस्य होंगे—निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग, उपभोक्ता विभाग और लेखा विभाग के अध्यक्ष द्वारा नामित उचित स्तर के अधिकारी समिति यह मूल्यांकन लेखा परीक्षा की गयी छानबीन रिपोर्ट सावधानीपूर्वक देखने के बाद करेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति के लिए सिफारिशें देगी।

(xiii) जहां भी निम्नतम अथवा कोई अन्य निविदा स्वीकार नहीं की जाती, वहां उसके उचित एवं पर्याप्त कारण लिखित रूप से रेकार्ड किए जाएंगे।

5. इन विनियमों में निहित किसी बात के बावजूद उपरोक्त प्रक्रिया निम्न मामलों में लागू नहीं होगी—

(i) बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं के मामले—जहां भारत सरकार और सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच संमत प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ii) प्रोप्रायटरी आयटेम अथवा मूल उपकरण उत्पादक द्वारा उत्पादित आयटेम की प्राप्ति के मामले।

6. इन विनियमों में अथवा उसके अगले संशोधन में जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उस मामले में विश्वस्त मंडल/अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर जारी निदेश लागू होंगे।

7. अर्थनिर्णय : इन विनियमों के अर्थ निर्णय के बारे में यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो मामला मंडल के पास जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

8. रद्द करना और बनाए रखना : ये विनियम लागू होते ही इनके प्रारंभ से तुरंत पहले लागू या प्रचलित प्रत्येक संकल्प, आदेश, विनिर्देश, प्रथा, रूढी तथा प्रक्रिया का प्रचलन बंद होगा, बशर्ते कि उनमें निहित किसी भी मामले के लिए इन विनियमों में प्रावधान हो।

बशर्ते कि इस प्रक्रिया की रोक का कथित संकल्प, आदेश, विनिर्देश, प्रथा, रूढी तथा प्रक्रिया के पिछले प्रचालन तथा उसके अंतर्गत की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही पर असर नहीं होगा।

मुंबई बंदरगाह के विश्वस्त मंडल के आदेशानुसार।

मुंबई, (सी. का. आठल्ये)
26 मई, 1994 प्रबन्धक (से. सं. का.)

[फा सं. पी. आर—16012/1/93—पी जी]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1994

G.S.R. 617(E).—*In exercise of the powers conferred by* Sub-section (1) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust (Forms and Manner in which contract shall be made) Regulation, 1994 made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the powers conferred on them under Section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963 and duly published in Maharashtra Government Gazette dated 9-6-94 and 16-6-94 respectively, as detailed in the schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

BOMBAY PORT TRUST

NOTIFICATION

No. SECY|P|GEE-G|7470

By notification No. SECY|P|GEE-G|1955, dated 15th February 1993 published in pursuance of section 124(2) of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), in the Maharashtra Government Gazette, of 4th March, 1993 and 11th March 1993 (Part II), draft regulations, namely, the Bombay Port Trust (Form and Manner in which contract shall be made) Regulations, 1992 approved by the Board of Trustees of the Port of Bombay under *section 123(b) ibid* were published for information. Approval thereto of the Central Government under section 124(1) *ibid* was applied for after expiry of fourteen days *vide* letter dated 17th April 1993. The Central Government suggested some changes to the draft regulations. These changes have been carried out and the revised draft regulations are hereby published for the information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the approval thereto of the Central Government, as required under section 124(1) of that Act, will be applied for on or after the expiry of fourteen days from the date on which this notification is first published in this Geztte.

BOMBAY PORT TRUST

(FORM AND MANNER IN WHICH CONTRACT SHALL BE MADE)

REGULATIONS, 1994

1. Title and Scope of Contract.—(*i*) These Regulations may be called the "Bombay Port Trust (Form and Manner in which contract shall be made) Regulations, 1994".

(ii) They shall come into force on the date of publication of sanction of the Central Government in the Official Gazette.

(iii) These Regulations shall apply to such contracts and to such extent as may be specified by the Board.

2. Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires :—

(a) "Board", "Chairman", "Dy. Chairman" and "Head of Department" shall have the same meaning as in the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

(b) "Competent Authority" shall mean Chairman or such other Officer of the Board to whom powers have been delegated in this behalf under the MPT Act, 1963.

"Tender" means an offer or proposal made it response to an invitation and in the prescribed manner and by the prescribed date and time and shall include offers or

proposals for rate contract, long term contracts or one time contract.

3. Form of the Contract.—Every contract shall be made in writing in the form approved by the Legal Department and shall include agreement or acceptance letter or order depending on the nature and value of contract.

4. (a) Manner in which contract shall be made.—

(i) Every contract on behalf of the Board shall be made by the Competent Authority and shall be sealed with the common seal of the Board by the Secretary of the Board provided that acceptance letters or new orders may not be sealed.

(ii) The contract shall be based on the quotations/bids received in reply to the tender notice under the appropriate mode of tendering indicated in sub-regulation (b) or such modes as may be prescribed by the Board from time to time and shall specify the work to be done/service to be provided/store to be supplied etc., the time within which the work or specified portion of work shall be completed and other terms and conditions governing the contract.

(b) (i) Tenders may be invited in the following manner :—

(a) Limited/Bulletin Tender.—(i) Invitation of tender from the contractors registered under the scheme of registration (ii) in special circumstances from a limited number of parties who are specialised in particular filed or type of work/supply of stores/services or have expertise on the basis of technical know-how. The reasons and criteria for selection to be recorded in writing by the Head of the Department and with the approval of the Chairman beyond such monetary limits as may be prescribed by the Board from time to time.

(b) Advertised Tender.—All tenders not covered by clause (a) shall be advertised locally or on all-India basis and in such newspapers, as per the policy of the Board and as may be approved by the Chairman and shall be under single cover system or two cover system as the need may, be.

(c) International Competitive Bidding.—(i) Invitation of tender on an international basis for cases where prior approval of the Chairman has been obtained.

(ii) The indenting department shall specify the quality of materials, which should not in any case be less than the bench mark prescribed by the recognised standarisation institutes.

(iii) In respect of materials which are not standardised, the indenting Head of Department shall approve the specification of the materials required.

In all cases, indents shall be so made so as to ensure competition amongst the desired class of firms/contractors.

(iv) The advertisement/notice for inviting tenders shall include brief description of work/stores/services and estimated cost thereof, amount of earnest money deposit, date on which tender set will be sold, last date for submission of bids, due date for opening of tenders and any other information like post qualification criteria, etc. as may be necessary, in accordance with the value and nature of the tender.

(v) Tender Notice, instructions to tenderers, general conditions of contract; special conditions of contract, general specifications, schedule of contract, drawings and such other documents as may be necessary, according to the nature of contract, will form the tender set.

(vi) The method of pre-qualification will be followed in respect of contract involving procurement of sophisticated equipment or works requiring specialised technical knowledge and experience or costing more than such sum as may be specified by the Board from time to time.

(vii) Tenders not accompanied by the prescribed earnest money deposit should be opened only with the general of specific approval of the Chairman.

(viii) The tenders shall be opened in the presence of representative of the Accounts Department of appropriate level. The tenders will be eligible for remaining present either personally or through their authorised representative at the time of opening of the tenders. The names and signature of those present shall be obtained in the register kept for the said purpose against their price bids.

(ix) In respect of supply tenders in Stores Department where samples have to be submitted alongwith the offers the samples wherever received shall be marked by the tender opening officers and will form part of the offer.

(x) The department which calls a tender for a contract shall prepare a detailed scrutiny report indicating inter alia, observations regarding financial and technical capability of the tenderers and reasonableness or otherwise of the offers and obtain sanction through the Accounts Department of the Competent Authority except in such cases which do not need audit clearance as per the delegated powers.

(xi) All tenders requiring sanction of the Board shall be evaluated by a three member Tender Committee consisting of Head of Department/Additional Head of Department of the department inviting tender, the user department and the Accounts Department.

(xii) Tenders for contracts, not requiring Board's sanction, shall be evaluated by a three member committe of officers of appropriate status nominated by the Chairman from the departments inviting tender, user department and Accounts Department after going through the audited scrutiny report and make recommendations for acceptance of the tender by Competent Authority.

(xiii) Wherever the lowest or any other tender is not accepted, good and sufficient reasons shall be recorded in writing.

5. Notwithstanding anything contained in these regulations the above procedure shall not be applicable in the following cases,—

(i) in cases of externally aided schemes where the procedure as may be agreed to between the Government of India and the lending agencies shall be followed, and

(ii) for procurement of proprietory items or item manufactured by the original equipment manufacturer.

6. In any case or matter not specifically provided for in these Regulations or in subsequent amendments thereof directions issued by the Board|Chairman from time to time shall apply.

7. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these regulations it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final

8. Repeal and Savings.—On commencement of these regulations every resolution, order, instruction, custom, practice, procedure in force or followed immediately before such commencement, shall in so far as it provides for any of the matters contained in these regulations, cease to operate :

Provided that such ceaser shall not affect the previous operation of said resolutions, orders, instructions, customs, practices and procedures or anything done or any action taken thereunder.

By order of the Board of Trustees
of the Port of Bombay,

S. K. ATHALYE,
Manager (Services and PO&M)

Bombay, dated 26th May, 1994.

[No. F. R-16012|1|93-PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

1836 GI/94—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994